(वाद संख्या–5770/17)

07.04.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, विनोद प्रसाद, प्रभारी प्रधान लिपिक, अनुमंडल कार्यालय, पटना सदर, प्रतिनियुक्ति, भूमि सुधार, उप समाहर्त्ता, पटना सदर के मार्च, 2017 से वेतनादि का भुगतान नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, पटना** के प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नित भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, पटना सदर के प्रतिवेदनानुसार परिवादी को दिनांक 04.04.2017 से 14.04.2017 तक (कुल 11 दिन) का वेतन छोड़कर अन्य बकाये वेतन का भुगतान किया जा चुका है ''**दिनांक 04.04.2017 से दिनांक 14.04.17 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण श्री प्रसाद का वेतन का भुगतान नहीं किया सका है। चूंकि श्री प्रसाद द्वारा अनुपस्थिति रहने से सम्बंधित कोई आवेदन पत्र समर्पित नहीं किया है।**

अतएव् दिनांक 04.04.2017 से 14.04.2017 तक का बकाये वेतन का भुगातन श्री प्रसाद का देय उपार्जित अवकाश स्वीकृति के उपरान्त करने हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर से करने हेतु अनुरोध किया जा रहा है।''

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी जिसमें उनके द्वारा अपने को निलंबित किये जाने से आदेश की वैधानिकता का प्रश्न उठाया गया है। उक्त प्रत्युत्तर पर पुनः **जिला पदाधिकारी, पटना** से प्रतिवेदन की मांग की गयी। अपने अंतिम प्रतिवेदन में **जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को उसके बकाया उपरोक्त कुल 11(ग्यारह) दिनों के वेतन का भुगतान 09.01.2021 को किया जा चुका है।**

अब जबकि राज्य आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी के शिकायत का संबंधित प्राधिकार द्वारा समाधान कर लंबित वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो ऐसी परिस्थिति में **जिला पदाधिकारी, पटना** के प्रतिवेदन को

स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार **जिला पदाधिकारी, पटना** से प्राप्त प्रतिवेदन (पृष्ठ–50–46/प0) की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेश की प्रति के साथ **परिवादी** को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक